3

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ

मार्केट सी-4, दुकान नं. 2-3, प्रथम मंजिल,
केशवपुरम, लारेंस रोड, दिल्ली-110035, मो. नं. : 9212567435, 9312238830

दिनांक : 16.01.2014

क्रमांक संख्या : DSRDS/2014/01-02

सेवा में

श्रीमान सौरभ भारद्वाज जी,
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, नई दिल्ली सचिवालय,
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली-110002

विषय : दिनांक 13.01.2014 को हुए वार्तालाप के संदर्भ में दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ द्वारा किए गये निर्णय की सूचना

16/1/14
Office of the Minister
(Transport, Food & Civil Supplies
Environment, Election and GAD)
GNCTD, Delhi Secretariat, I P Estate
New Delhi-110002

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के राशन डीलर्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 2013 से समान क्रय-विक्रय मूल्य पर कार्यरत हैं और इसी संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल **श्री शिवकुमार गर्ग जी (अध्यक्ष)** के नेतृत्व में आपसे मिला। आपने गंभीरतापूर्वक राशन विक्रेताओं की समस्याओं को सुनते हुए इसकी सुनिश्चिता तय करने हेतु 15 दिन का समय नियत किया। इस संबंध में आपके साथ हुई वार्ता का ब्यौरा संघ की आम सभा में समस्त डीलर्स के सामने रखा। जिसमें सर्व-सम्मति से यह कहा गया कि आगामी फरवरी से पुनः चुनाव आचार संहिता पूरे देश में लागू होने की संभावना है। इसलिये यह निर्णय लिया गया कि यदि मौजूदा सरकार मंत्री महोदय के साथ वार्तालाप के समय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये ठोस आश्वासन के अनुसार हमारी प्रस्तुत मांगों के संदर्भ में अथवा हमारे अक्षरतः नैतिक मूल्यों पर ध्यान नहीं देती, व 31 जनवरी, 2014 तक संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर उचित निर्णय नहीं लेती या उचित आदेश पारित करने में असमर्थ होती है तो भविष्य में दिल्ली के समस्त राशन डीलर्स मार्च 2014 के लिए राशन के आवंटन का अग्रिम राशि का ड्राफ्ट फरवरी 2014 में नहीं लगा पायेंगे। सूचनार्थ आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

हम आशा करते हैं कि आपने जिस प्रकार वार्तालाप के समय सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन दिया उसे अक्षरतः पूर्ण करेंगे।

सधन्यवाद।

(सीताराम)
महासचिव

संलग्न : प्रेस विज्ञप्ति

Personal Branch of Commissioner (F&S)
16/1/14
16 JAN 2014
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपि : आयुक्त महोदय, खाद्य एवं संभरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-110002